संख्या-680/2017/362/22-2-2017-17(260)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 21 अगस्त, 2017***

विषय:- जिला कारागार, अलीगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अशोक कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह निवासी जनपद-हाथरस की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-42941/प्रोबे0-5-द0या0 बैठक-28.10.2016 दिनांक 02.12.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, अलीगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अशोक कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम-गंमचौली, थाना-हाथरस जंक्शन, जनपद-हाथरस का रहने वाला है। बन्दी द्वारा नाली की सफाई के वाद-विवाद को लेकर दिनांक 01-07-1989 को 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर डबल बैरल बन्दूक एवं पिस्टल से गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी सत्र परीक्षण संख्या-519/1989 में भा0द0वि0 की धारा-302/149,307/149,148 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट) अलीगढ़ के ओदश दिनांक 21-02-1991 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20-05-2003 द्वारा अपील को निरस्त करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 29.01.2016 तक 14 वर्ष 04 माह 04 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 02 माह 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी के 04 अन्य सहअभियुक्त मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दोषमुक्त, 01 अन्य सहअभियुक्त की मृत्यु तथा 03 सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहे हैं। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की आयु, कारित अपराध की प्रकृति, जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी अशोक कुमार (बन्दी संख्या-420/2003) पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह निवासी जनपद-हाथरस की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-680/2017/362/(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट हाथरस ।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, अलीगढ़।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in